न्यायालय,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसवाड़ा, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - राम सुरेश प्रसाद
R.J.S.(D.J. Cadre)

सत्र विचारण संख्या 111/2022

राजस्थान राज्य - अभियोजन

बनाम

सोहन उर्फ सोनिया, पिता स्व. कमा, उम्र 49 वर्ष, निवासी पाटन, पुलिस थाना कलिंजरा, जिला बांसवाडा (राज.) - अभियुक्त

प्रतिनिधित्व -

1. श्री योगेश सोमपुरा, लोक अभियोजक।
2. श्री अजहर अहमद, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11 मई, 2026

1. इस प्रकरण में अभियुक्त सोहन उर्फ सोनिया पिता स्व. कमा के विरूद्ध पुलिस थाना कलिंजरा की प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 85/2022 में प्रस्तुत आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाकर अपराध अन्तर्गत धारा 457, 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोपों का निस्तारण किया जा रहा है।

2. निपुन सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 2009(2) एससीसी 709 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित के क्रम में पीड़िता एवं उसके निकट संबंधियों का नाम उनकी पहचान को गुप्त रखे जाने के प्रयोजन से नहीं लिखा जा रहा है। पीड़िता को काल्पनिक नाम V या पीड़िता, पीड़िता के पिता को B, पीड़िता के माता को J, पीड़िता के मामा को T के नाम से सम्बोधित किया जाएगा।

3. संक्षेप में अभियोजन के वाद का सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.04.2022 को पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि घटना दिनांक 05.08.2021 की रात्रि करीब

10:00 बजे की है। वह प्रार्थीया घर पर अकेली थी। उसके बच्चे सो गए थे कि अभियुक्त सोहन उसके घर में जबरन घूस आया तथा कहने लगा कि उसे तेरे से संबंध बनाने है, उसने आवाज की तो उसे मैं मार दुंगा। उसने विरोध किया तो अभियुक्त सोहन ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर वह काफी डर गई तो अभियुक्त ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार, खोटाकाम किया तथा अभियुक्त कहने लगा कि अगर यह बात उसने किसी को बताई तो उसके बच्चे को वह जान से खत्म कर देगा एवं उसे भी मार देगा। उसका पति मर गया है, यहां उसे बचाने वाला कोई नहीं है। वह काफी डर गई थी। उसे उसके बच्चे की जान की परवाह होने लगी। अभियुक्त सोहन ने उसे घेरकर रखता तथा कही आने जाने नहीं देता। वह कही जाती तो अभियुक्त उसे बच्चों को बंदी बनाकर रखता और कहता कि अगर किसी को बताया तो उसके बच्चों को मार देगा। इस प्रकार अभियुक्त ने उसे डरा धमकाकर उसके साथ खोटा काम करता रहता। परिवाद से 15 दिन पूर्व अभियुक्त सोहन को वह पेट से है (प्रेगनेंट) है, ऐसा पता चला तो अभियुक्त कहने लगा कि, इस बच्चे को गिरा दो नहीं तो उसे चाकू मारकर बच्चे को और उसे खत्म कर देगा। ऐसा कहकर कहता कि उसकी समाज में इज्जत खराब हो रही है। दिनांक 01.04.2022 को अभियुक्त ने उसका गला दबा दिया और उसके साथ मारपीट कर हत्या करने की कोशिश की। वह जैसे तैसे मौका देखकर अपने पिता के घर शंभुपुरा आ गई आकर अपने माता पिता को संपूर्ण घटना की जानकारी दी। उसके बच्चों को जान का खतरा होने के कारण उसने उक्त बात किसी को नहीं बताई तथा डर के कारण थाने में रिपोर्ट नहीं दी। उसने उसके पिता को उक्त घटना की जानकारी दी। उसके बाद उसे हिम्मत आई की अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट देनी चाहिए ऐसा सोचकर एसपी कार्यालय उपस्थित होकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। अभियुक्त ने जबरन उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार खोटा काम करने से वह प्रार्थीया गर्भवती हो गई है। अभियुक्त आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, अगर उसके विरूद्ध समय रहते ठोस कानूनी कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसे व उसके बच्चों का जानमाल का खतरा बना हुआ है। दिनांक 19.04.2022 को काफी दर्द होने से तलवाडा सरकारी अस्पताल में ले गए जिसकी सूचना कलिंजरा थाने को दी थी लेकिन पुलिस द्वारा उसकी कोई खैर-खबर बयान नहीं लिए। इसी दौरान प्रार्थीया के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी सूचना भी संबंधित थाने को दे दी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। दिनांक 24.04.2022 को शाम के समय बच्चे की तबियत खराब हो गई और मृत्यु हो गई। उक्त सूचना भी पुलिस आला अधिकारी को दे दी गई तो भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 25.04.2022 को वह स्वयं मृत बच्चे को लेकर श्रीमान के समक्ष उपस्थित हुई

है। कानूनी कार्यवाही करावे.........इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कलिंजरा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 85/2022 अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 457, 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागीदौरा के समक्ष आरोप पत्र पेश किये जाने पर उक्त धारा में संज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया तथा अभियुक्त को चालान/दस्तावेज की प्रतियां दी गई। मामले को अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय में उपार्पित किये जाने तथा प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. बहस आरोप उभय पक्ष की सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 457, 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन ने साक्ष्य के दौरान अ.सा. संख्या 01 पीडिता के पिता 'B', अ.सा. संख्या 02 दिनेश, अ. सा. संख्या 03 पीडिता के मामा 'T', अ. सा. संख्या 04 पीडिता 'V', अ. सा. संख्या 05 राजेश कुमार चौधरी, अ. सा. संख्या 06 मणीलाल, अ. सा. संख्या 07 अनिल कुमार, अ. सा. संख्या 08 पीडिता की माता 'J' के कथन लेखबद्ध किये गये, प्रलेखीय साक्ष्य में 26 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये।

7. साक्ष्य अभियोजन के समापन पर अभियुक्त के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

8. दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों से अभियुक्त सोहन उर्फ सोनिया द्वारा पीडिता का बलात्कार किया जाना साबित हुआ है। पीड़िता के बयान विश्वसनीय एवं स्वाभाविक रहा है। ऐसे में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए।

इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिये है कि अभियुक्त व पीडिता के मध्य गांव में झगडा हुआ था। पक्षकारान के मध्य भांजगड़ा हुआ था, जिसमें अभियुक्त ने पीडिता को पैसे नहीं दिये थे। अभियुक्त और पीड़िता के मध्य रूपयों की मांग को लेकर विवाद था जिस कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त तथा पीड़िता के मध्य जो भी संबंध बने हैं वह सहमति से बने हैं जिससे अपराध का गठन नहीं होता हैं अतएव अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

9. मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर विचार कर पत्रावली का परिशीलन किया। अब मेरे समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि –

क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.08.2021 को रात्रि करीब 10.00 बजे मौजा डाबरी भाटोड (पाटन) में स्थित पीड़िता के कब्जेशुदा मकान में अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर पीड़िता के साथ बलात्कार किया ?

विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में पत्रावली पर आये साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हैं -

10. हस्तगत मामले का उद्भव पीड़िता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 पर हुआ है, जिसमें पीड़िता ने दिनांक 05.08.2021 को रात्रि करीब 10.00 बजे अभियुक्त का उसके घर में घुस कर उसकी गर्दन पर चाकू रख कर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने तथा उसके पश्चात् उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ बलात्कार करते रहने से पीड़िता का गर्भवती हो जाना, जिसकी जानकारी अभियुक्त को देने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर उसका गला दबा कर हत्या कारित करने का प्रयास करना बताया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में मौका पाकर अपने माता-पिता के घर जाकर संपूर्ण घटना बताना भी कहा है तथा दिनांक 19.04.2022 को तलवाड़ा सरकारी अस्पताल में उसके एक बच्चे का जन्म होना, जिसकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण दिनांक 24.04.2022 को मृत्यु हो जाना बताया है। पीड़िता न्यायालय के समक्ष अ. सा. संख्या 04 के रूप में परीक्षित हुई है जिसने कहा है कि तीन साल पहले की बात है। रात को दस बजे वह घर पर खांट पर सोई हुई थी। सोहन उसके घर आया और उसके उपर पड गया और उसे चाकू दिखाकर जबरन उसके साथ खोटा काम (बलात्कार) किया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। फिर उस बलात्कार की घटना से उसका गर्भ ठहर गया, फिर उसने घटना की जानकारी उसके पिता वालु और माता ज्योति को दी। उसके बाद उनका भांगजडा चला। उस दौरान पेट में गर्भ नौ माह का हो गया था। उसकी डिलेवरी तलवाडा अस्पताल में हुई थी और नवजात बालक का जन्म हुआ। कुछ बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट एस.पी. साहब, बांसवाडा को देना जो प्रदर्श पी 03, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 04, नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 एवं धारा 164 सीआरपीसी के कथन प्रदर्श पी 06 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कहा है। प्रति- परीक्षण में साक्षी ने बताया है कि सोहन उर्फ सोनिया रिश्ते में उसका जेठ लगता है। उसके व उसके जेठ के खेत शामलाती हैं। वह सोहन के घर जाती रहती थी। वह सोहन के घर जाती थी तो वहां खाना खाती थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सोहन एवं उसका झगड़ा भी हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि उनका भांजगड़ा हुआ

था जिसमें सोहन ने उन्हें पैसे नहीं दिये थे। सोहन ने पैसे नहीं दिये इसलिए उन्होंने यह मुकदमा करवाया था।

इस प्रकार स्वयं पीड़िता की साक्ष्य में सोहन से उसका झगड़ा होना एवं भांजगड़ा (सामाजिक समझौता) होने पर सोहन द्वारा पैसे नहीं दिने पर यह मुकदमा करना स्वीकार किया है। साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उनके बीच भांजगड़ा हस्तगत घटना को लेकर हुआ हो, बल्कि साक्षी की साक्ष्य से यह आता है कि किसी अन्य झगड़े को लेकर भांजगड़ा हुआ है जिसमें रूपये नहीं देने पर पीड़िता ने यह मुकदमा किया है जो तथ्य पीड़िता की साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करने वाला है। यहां यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि प्रकरण में पीड़िता ने अभियुक्त सोहन द्वारा बलात्कार करने के परिणामस्वरूप स्वयं का गर्भवती हो जाना कहा है जिस बाबत् पीड़िता ने रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 में रिपोर्ट देने से 15 दिवस पूर्व यह जानकारी अभियुक्त को देने पर अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करना एवं उसका गला दबाना बताया है तथा दिनांक 19.04.2022 को पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म देना कहा है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि पीड़िता ने गर्भवती होने के पश्चात् बच्चे का जन्म होने के उपरांत यह मुकदमा दर्ज करवाया है, ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि पीड़िता ने घटना के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है, जो तथ्य अस्वाभाविक होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय के विनम्र मत में किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी जघन्य आपराधिक घटना हो जिसके पश्चात् वह गर्भवती भी हो जाये तो यह स्वाभाविक नहीं माना जा सकता है कि वह ऐसी गम्भीरतम घटना की जानकारी किसी को नहीं दे, यहां तक कि अपने नजदीकी रिश्तेदारों को भी नहीं। पीड़िता ने रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 में दिनांक 01.04.2022 के पश्चात् मौका देख कर अपने पिता के घर जाकर माता-पिता को घटना की जानकारी देना कहा है अर्थात् घटना से करीब 08 माह पश्चात्, जो तथ्य सत्य एवं स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है।

11. इसी क्रम में अन्य महत्वपूर्ण साक्षीयों की साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो अ. सा. संख्या 01 पीड़िता का पिता B ने कहा है कि घटना बयान से लगभग 02 वर्ष पुर्व की है। पीडिता उसकी बेटी है। उसकी बेटी पीडिता ने उसे छह महीने बाद बताया कि वह गर्भवती है। उसकी बेटी ने बताया कि अभियुक्त सोनिया ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसकी बेटी ने कहा कि अभियुक्त सोनिया ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाये थे। उसकी बेटी पहले उसके पास आई नहीं इसलिए उसने उसके गर्भवती होने वाली बात नहीं बताई थी। उसकी बेटी उसके ससुराल में थी। उसकी बेटी की जांच कराने हेतु तलवाडा सरकारी हॉस्पीटल में ले गये थे। उसकी बेटी के तलवाडा हॉस्पीटल में बच्चा हुआ। बाद मे उसकी बेटी के

बच्चे की मौत हो गयी थी। साक्षी ने शिशु की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 01 तथा शिशु की फर्द सुपुदर्गी लाश प्रदर्श पी 02 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी बेटी वेस्ती एवं उसका बच्चा उसके साथ रहते हैं। यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने उसकी बेटी के साथ कोई खोटाकाम नहीं हुआ। यह भी स्वीकार किया है कि गांव में झगड़ा होने के बाद उन्होंने अभियुक्त सोहन उर्फ सोनिया के खिलाफ रिपोर्ट थाने में दी थी। यह भी स्वीकार किया है कि गांव में भांजगड़े की बात हुई थी भांजगड़े में अभियुक्त द्वारा पैसे देने से मना करने पर उन्होंने यह केस किया है। यह भी स्वीकार किया है कि उसकी बेटी ने उसे बताया तब उसने रिपोर्ट नहीं दी थी क्योंकि उनके अभियुक्त से पैसे के देन-देन की बात चल रही थी। साक्षी ने अपने जमाई की मृत्यु होने के पश्चात् अपनी पुत्री का स्वयं के पास रहना कहा है। पीड़िता की माता J अ. सा. संख्या 08 ने कहा है कि पीड़िता उसकी पुत्री है जिसकी शादी डाबरी पाटोड पाटन करवाई थी। पीड़िता का पति बीमार था। उसकी पुत्री पीड़िता के जेठ सोनिया ने उसके साथ बलात्कार किया, जिससे उसकी पुत्री का गर्भ ठहर गया। उसके बाद तलवाड़ा अस्पताल में प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु हो गई। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने अनभिज्ञता जाहिर की है कि सोनिया व उसकी पुत्री के बीच रुपयों का लेन-देन हो स्वयं ने कहा कि वह अपने घर रहती है, इसलिये उसे नहीं पता। यह भी स्वीकार किया है कि उसकी लड़की के साथ क्या हुआ उसे नहीं पता।

इस प्रकार पीड़िता के पिता अ. सा. संख्या 01 की साक्ष्य से भी पीड़िता एवं अभियुक्त के मध्य भांजगड़ा होने तथा अभियुक्त द्वारा रूपये नहीं दिये जाने के कारण यह मुकदमा करना स्पष्टतया स्वीकार किया है। इस साक्षी की साक्ष्य में कुछ बेहद ही आश्चर्यजनक एवं विरोधाभासी तथ्य उभर कर सामने आये हैं कि उसकी बेटी पहले उसके पास आई नहीं इसलिए उसने उसके गर्भवती होने वाली बात नहीं बताई थी, वहीं साक्षी ने साक्ष्य में आगे यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उसके जमाई की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी पुत्री उसके पास रहती थी। साक्षी ने यह भी स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उसकी बेटी पीड़िता एवं उसका बच्चा उसके साथ में ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब पीड़िता अपने पित की मृत्यु के पश्चात् से ही अपने पिता के साथ रहती थी तो अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार कैसे किया जा सकता है जहां कि पीड़िता का पीहर और ससुराल दोनों अलग-अलग गांव में स्थित हैं तथा अभियुक्त पीड़िता के ससुराल गांव डाबडी भाटोड पाटन में रहता है। इसके अलावा यदि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना मान भी लिया जावे तो साक्षी का यह कथन घोर संदेह उत्पन्न करता है कि उसकी बेटी पहले उसके पास आई नहीं इसलिए उसने उसके

गर्भवती होने वाली बात नहीं बताई थी, जबकि साक्षी दूसरी ओर पीड़िता का स्वयं के साथ ही रहना कह रहा है तो ऐसे में यह कैसे संभव है कि पीड़िता स्वयं के साथ बलात्कार जैसी गम्भीरतम घटना घटित होने के पश्चात् भी अपने माता-पिता को नहीं बताये जहां कि पीड़िता गर्भवती भी हो गई है।

ऐसी स्थिति में स्वयं पीड़िता एवं उसके पिता की साक्ष्य में सारवान विरोधाभास सामने आया है, जो अभियोजन कहानी पर घोर संदेह उत्पन्न करने वाला है।

12. हस्तगत प्रकरण में पीडिता के कथनों का विधिक प्रावधानों के प्रकाश में सूक्ष्मता से विवेचन किया जाना आवश्यक है। बलात्कार के अपराध के संबंध में धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान पर दृष्टिपात करते हैं, जिसमें - बलात्संग – यदि कोई पुरूष, - (क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या (ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या (ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या (घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है -

पहला - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा - उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

तीसरा - उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा -उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवां -उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से

या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवां -उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की है।

सातवां -जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है तो बलात्कार के अपराध होना कहा जाता है, का प्रावधान है। विधिक प्रावधानों के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण में साक्ष्यों पर दृष्टि डालते हैं। प्रकरण में पीड़िता स्वयं ने सोहन से उसका झगड़ा होना तथा झगड़े के कारण हुए भांजगड़े में पैसे नहीं देने से सोहन के विरूद्ध यह मुकदमा करने की स्वीकारोक्ति रही है जिस तथ्य की पुष्टि पीड़िता के पिता की साक्ष्य से भी होती है। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, यह भी इन साक्षीयों की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हुआ है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.03 में अभियुक्त द्वारा उसके साथ घटना की दिनांक के पश्चात् भी बलात्कार करना बताया है, परन्तु साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है। इसके अलावा पीड़िता एवं पीड़िता के पिता की साक्ष्य में सारवान विरोधाभास सामने आया है।

13. अन्य साक्षीयों में अ. सा. संख्या 02 दिनेश ने नवजात शिशु का पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी.01 तथा फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.02 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना कहा है। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त फर्दों पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। अ. सा संख्या 03 पीडिता के मामा ा ने कहा है कि करीब चार साल पहले उसकी भानेज की लडकी पीडिता के साथ सोहन ने खोटाकाम किया था। खोटाकाम करने से पीडिता के एक नवजात शिशु पैदा हुआ था जिस शिशु की मृत्यु हो गई थीा साक्षी ने शिशु की लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी.01 पर अपनी अंगुठा निशानी होना कहा है। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस उसके घर आई थी और घर पर ही पुलिस ने प्रदर्श पी.01 पर अंगुठा करवाया था। इस प्रकार इन साक्षीयों की साक्ष्य के विवेचन से उक्त साक्षीगण अनुश्रुत साक्षी होकर कहीसुनी बातों की साक्ष्य देना पाया जाता है।

14. प्रकरण में पीड़िता की मेडिकल जांच भी हुई है जिसके संबंध में अभियोजन ने चिकित्सक अ. सा. संख्या 05 राजेश कुमार चौधरी ने कहा है कि वह दिनांक 25.04.2022 को एमजीएच बांसवाडा में मेडिकल ज्युरिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना कलिजरा के प्रकरण संख्या 85/2022 में मृतक नवजात शिशु का पोस्टमार्टम कराकर डीएनए टेस्ट हेतु सेम्पल दिलाने बबात् तहरीर प्रदर्श पी 7 दी थी। उसके द्वारा पीडिता के नवजात शिशु का पोस्टमार्टम किया गया था। पहचानकर्ता उसकी माता पीडिता थी। मृतक नवजात शिशु की उम्र 5 दिन थी। मृतक नवजात शिशु का शरीर बहुत दुबला पतला था।

मृतक नवजात शिशु के शरीर पर पीएम स्टेनी मौजूद थी। मृतक नवजात शिशु का शरीर अकडा हुआ था। मृतक नवजात शिशु के आंखो की दोनों पुतलिया फैली हुयी थी। मृतक नवजात शिशु के मस्तिष्क व फेफडों में सुजन आयी हुयी थी। मृतक नवजात शिशु का ह्रदय एवं खुन की धमनियां स्वस्थ थीं। नवजात की मृत्यु पोस्टमार्टम जांच के 48 घंटे के भीतर हुई थी। नवजात शिशु की मृत्यु का कारण सेप्टीसिमिया था। मृतक नवजात शिशु के डीएनए जांच के लिए सेम्पल लिया गया था। साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 पर मृत्यु कारण एवं अपने हस्ताक्षर होना कहा है। साक्षी ने पीडिता के बलात्कार के संबंध में स्वयं के एवं डॉ शीतल गोयल के द्वारा की गयी थी। साक्षी ने पीडिता के आंतरिक अंगो पर चोट के कोई निशान मौजूद नहीं होना तथा पीडिता के खून, थुंक एवं वेजाईनल सलाईड एवं स्वाब के नमुने लेकर सीलचीट कर अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करना तथा मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कहा है। साक्षी ने प्रकरण में जैर हिरासत आरोपी सोहन उर्फ सोनिया के पुरूषत्व की जांच व उसके एफएसएल सेम्पल लेने बाबत् तहरीर प्रदर्श पी 10 व 11 पर आरोपी सोहन उर्फ सोनिया के मेडिकल जांच करना तथा जांच में अभियुक्त का पूर्णरूप से स्वस्थ होकर संभोग करने के लिए स्वस्थ होना कहा है। साक्षी ने अभियुक्त सोहन उर्फ सोनिया के खून एवं थुंक की जांच का नमुना जांच हेतु सीलचीट कर जांच अधिकारी को सौंपना तथा अभियुक्त की मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है। प्रति परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि नवजात शिशु ने जन्म के बाद से ही दूध नहीं पिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि नवजात शिशु की मृत्यु का कारण बॉडी में फैला इन्फैक्शन था। इस प्रकार से साक्षी ने नवजात शिशु, पीडिता एवं अभियुक्त के जैविक नमूने लेकर अनुसंधान अधिकारी को देना कहा है। प्रकरण का अनुसंधानकर्ता अ. सा. संख्या 06 मणीलाल ने कहा है कि एमओ द्वारा लिए गए आर्टिकल्स को मालखाना इंचार्ज को संभला कर मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 44 पर इन्द्राज कर मालखाने में सुरक्षित रखे गये। मालखाना रजिस्टर की प्रदर्श पी.21 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पीडिता वेस्ती, मृतक नवजात शिशु एवं आरोपी सोहन उर्फ सोनिया से लिए गए आर्टिकल्स सैम्पल्स की एफएसएल जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 22 हैं, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने पुलिस अधीक्षक का विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को लिखा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 23, एफएसएल जमा रसीद प्रदर्श पी 24 तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 25 होना कहा है। प्रकरण में सैम्पल्स को एफएसएल ले जाना वाला गवाह अ. सा. संख्या 07 अनिल कुमार ने प्रकरण के 09 ऑटिकल्स को मालखाना इंचार्ज से मय अग्रेषण पत्र के प्राप्त कर उसी दिन एसपी आफिस पहुंच कर एफएसएल के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करवा कर 09 सीलचिटशुदा आर्टिकल्स सुरक्षित अवस्था में मय पुलिस अधीक्षक के पत्र के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में जमा करवा कर जमा रसीद प्राप्त करना जो मालखाना इंचार्ज को संभलाना कहा है। साक्षी ने पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.22, पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.23, एफएसएल जमा रसीद प्रदर्श पी.24 तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श

पी.25 होना कहा है। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसने आर्टिकल्स पुलिस अधीक्षक को नहीं दिखये स्वयं ने कहा कि जिसने अग्रेषण पत्र बनाया उसके सामने पेश किये थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के परिणाम सकारात्मक पायी गयी है। पीड़िता वयस्क महिला होकर एक बच्चे की मां है, जिसके द्वारा 08 माह तक घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं देना, यहां तक कि गर्भवती होने के पश्चात् भी पीड़िता द्वारा अपने माता-पिता को घटना की जानकारी नहीं देने के तथ्य प्रकरण में अभियोजन की कहानी पर घोर संदेह उत्पन्न करते हैं। पीड़िता द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसका अभियुक्त से किस बात का झगड़ा रहा है तथा किस बात का भांजगड़ा हुआ है, जो तथ्य अभियोजन के मामले पर घोर संदेह उत्पन्न करने वाले हैं। हस्तगत प्रकरण में पीड़िता द्वारा किया गया कथन कि चाकू दिखा कर जबरन उसके साथ बलात्कार कारित किया, संदेह उत्पन्न करता है कि इतने गम्भीरतम प्रकृति के अपराध कारित करने के पश्चात् 8 महीने से अधिक अवधि तक वह डरी सहमी रही हो जिससे रिपोर्ट घटना के पश्चात् प्रस्तुत की जावे। यदि पीड़िता के साथ अभियुक्त के द्वारा बलपूर्वक कोई अपराध कारित की जाती तो अवश्य ही अपराध की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा तत्काल दर्ज करवाई जाती, कम से कम पीड़िता के द्वारा अपने माता-पिता को बताया जाता जो कि घटना के पश्चात् नहीं बताई गई है, बल्कि एक लम्बी अवधि 8 माह के पश्चात् रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ घटना कारित करने का तथ्य ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से साबित नहीं पाये जाने से यह तथ्य बलवती होता है कि पीड़िता एक सम्मत पक्षकार रही है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सोहन उर्फ सोनिया के विरूद्ध विरचित आरोप अंतर्गत धारा 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित होना नहीं पाया जाता है।

15. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में विधिक प्रावधानों को देखा जावे तो धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता के गठन हेतु जो कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करेगा। अब विधिक प्रावधान के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण को देखने पर सर्वप्रथम तो प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता के साथ कोई अपराध कारित करना नहीं पाया गया है। इसके अलावा इस संबंध में साक्षीयों की साक्ष्य में विरोधाभास होना सामने आया है जहां कि पीड़िता के पिता अ. सा. संख्या 01 B ने अपने जमाई की मृत्यु के पश्चात् से पीड़िता का अपने साथ रहना बताया है तथा अभियोजन के द्वारा घटना पीड़िता के ससुराल गांव गारमडाबरी भाटोड पाटन में होना बताया है। ऐसे में अभियोजन घटनास्थल पर पीड़िता के निवास करने एवं आधिपत्य होने की स्थिति को विश्वसनीय रूप से साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.05 को प्रदर्शित करवाया है, जिसके मौतबीर गवाहान राजू व दिनेश हैं। अभियोजन की ओर से गवाह राजू को परीक्षित नहीं करवाया गया है तथा अ. सा. संख्या 02 दिनेश ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.05

के संबंध में कोई साक्ष्य ही नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष घटनास्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी.05 को साबित करने में भी असफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

16. इस प्रकार से अभियोजन ने अभियुक्त सोहन उर्फ सोनिया के विरूद्ध धारा 457 एवं धारा 376(2)(एन) के अपराध के आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सोहन उर्फ सोनिया उक्त धाराओं के अपराध के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य पाया जाता है।

आदेश

17. परिणामतः अभियुक्त सोहन उर्फ सोनिया, पिता स्व. कमा, उम्र 49 वर्ष, निवासी पाटन, पुलिस थाना कलिंजरा, जिला बांसवाडा (राज.) को धारा 457 एवं धारा 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की ओर से पूर्व में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुतशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध की जाने वाली अपील या याचिका में उपस्थिति बाबत सोहन उर्फ सोनिया की धारा 437(क) द.प्र.सं. के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति सहित जमानत पत्र आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगी।

(राम सुरेश प्रसाद)

18. निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सुरेश प्रसाद)